प्रपत्र–एक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अतंर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम :–श्री सुनील पाहुजा
2. पूरा पता/ई–मेल /फैक्स जिस पर जनकारी प्रेषित की जाना है :– श्री सुनील पाहुजा
   जी –24, फारेस्ट कालोनी, बरखेड़ा पठानी,
   जिला– भोपाल, मध्यप्रदेश
3. दूरभाष कमांक :–
4. आवेदन देने का दिनांक :– 11/01/2008
5. कार्यालय का नाम :– लोक सूचना अधिकारी,
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन,
   नई दिल्ली–110 114
6. चाही गई जानकारी का विवरण :–

- मेरे द्वारा आपके अधीनस्थ कार्यालय निदेशक, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल, म.प्र, से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विधिवत आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.12.2007 को आवेदन दिया था । (छायाप्रति संलग्न है) । मेरे आवेदन में **Assistant Public Information Officer, Bhopal** ने अपने पत्र दिनांक 28 दिसंबर 2007 द्वारा जानकारी दी है (छायाप्रति संलग्न है) उनके द्वारा दी गई जानकारी भ्रमित एवं त्रुटिपूर्ण दी गई है जैसे :–
- प्रश्न कमांक 2 में पर्सनल असिस्टेट के मापदण्ड मांगे गये थे उनके द्वारा **Private Secretary** के दिये गये है। वर्ष 2000 से नवम्बर, 2007 तक कितने पद पदोन्नति से भरे गये है जिसमें उनके द्वारा 2000 के पूर्व के कर्मचारियों के नाम दर्शाये है । वर्ष 2000 के पश्चात पर्सनल असिस्टेंट के पदोन्नति 50% वरीयता के आधार पर की जा चुकी है । जिसका उत्तर नहीं दिया गया है । जानकारी वर्ष 2000 के पश्चात की मांगी थी परन्तु उनके द्वारा वर्ष 2000 के पूर्व के किसी अन्य कर्मचारी का विवरण दिया गया है ।
- प्रश्न कमांक 3, 4 एवं 5 में भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है ।
  अतः मुझे वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराई जाय ।

7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण /रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना — रिकार्ड की प्रमाणित प्रति
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीः– — संलग्न
   रूपये 10 का स्टॅाम्प (वीपीएल सूची के सदस्य वो देय नहीं)
   रसीद कं E 755519 एवं दिनांक 10-01-2008 Rs. 50/-
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं । यदि हां तो वी.पी.एल.सूची का अनंकमांक — नहीं

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीपः– यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रू.10/– का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें ।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांकः–
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थिति होने का दिनांक
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)
दिनांक

डायरी सं./Dy. No. 10/RTI 16-1-08
डायरी सं./Dy. No. 14/RTI DS(A), ICAR दिनांक/Date 15/1/08
डायरी सं./Dy. No. 05/RTI स्थापना-I अनुभाग Estt-I-Section दिनांक/Dated 16/1/08

5/1-2008/RTI/IISS

BY SPEED POST / Regd Post

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा0 कृ0 अनु0 प0)
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal – 462 038 (M.P.)
Tel. No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 127 & 252) Fax. No. (0755) 2733310

F.No. 7-06/SPD/IISS/RTI

Date: 31/01/2008

To,

Shri Sunil Pahuja,
G-24, Forest Colony,
Barkheda Pathani
Bhopal

Sub: Information under RTI Act - regarding.

Sir,

Please find enclosed herewith the information given by the IISS office as desired by you vide RTI application dated 11/01/2008. Two pages are enclosed.

Thanking you,

Yours faithfully,

(A. K. Misra)
Central Public Information Officer

Enclosures: Two pages information. %

Copy to: The Deputy Secretary (Admn.) & Nodal Officer RTI, ICAR Krishi Bhawan, New Delhi with reference to Council's letter No. 05/RTI/Estt.I/08 Dated 21st January 2008.

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान
नबीबाग, बेरसिया रोड, भोपाल

मि0 सं0 12-79 / 2007-स्था0 दिनांक 31.01.2008

आपके नोट दिनांक 25.01.2008 के संदर्भ में मागी गई जानकारी निम्नानुसार है।

क्र0	विवरण	जवाब
प्रश्न क्रमांक 2	पर्सनल असिस्टेंट के मापदण्ड मांगे गये थे उनके द्वारा Private Secretary के दिये गये हैं । वर्ष 2000 से नवम्बर, 2007 तक कितने पद पदोन्नती से भरे गये हैं जिसमें उनके द्वारा 2000 के पूर्व के कर्मचारियों के नाम दर्शाये है । वर्ष 2000 के पश्चात पर्सनल असिस्टेंट के पदोन्नति 50% वरीयता के आधार पर की जा चुकी है । जिसका उत्तर नहीं दिया गया है । जानकारी वर्ष 2000 के पश्चात की मांगी थी परन्तु उनके द्वारा वर्ष 2000 के पूर्व के किसी अन्य कर्मचारी का विवरण दिया गया है ।	पर्सनल असिस्टेंट की पदोन्नति प्राइवेट सेक्रेट्री में होती है इसीलिए प्राइवेट सेकेट्री का मापदण्ड की प्रति कराई गई थी । परंतु वर्ष 2000 के पश्चात 50% वरीयता के आधार पर कोई भी पर्सनल असिस्टेंट की पदोन्नति प्राइवेट सेक्रेट्री पर नही की गयी है
प्रश्न क्रमांक 3	वर्तमान में पर्सनल असिस्टेन्ट के कितने पद रिक्त है और कब से वर्षवार जानकारी दें । इन पदों को भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है ।	02 पद रिक्त है एवं 1998 से रिक्त हैं । जोकि मुख्य संस्थान के पद नही है । ये पद परिषद के पत्र क्र0 4-1/96.पी.2 दिनांक 08.12.1998 द्वारा स्थानान्तरित होकर आयी थी । इन पदों को रीडेजिगनेशन हेतु परिषद को भेजा गया था ।
	क्या इन पदों को भरने के लिये समय-समय पर या वर्तमान में आपके मुख्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त हुये है यदि हो तो उनकी प्रतियाँ उपलब्ध करावें ।	परिषद से ए.डी.आर. पी. 2007.2008 के अनुमोदन आने के पशचात कार्यवाही की जावेगी । मुख्यालय से ए0डी0आर0पी0 2007-08 का अनुमोदर प्राप्त होना है ।

प्रश्न क्रमांक 4	क्या यह सही है कि पर्सनल असिस्टेन्ट के पद आपके विभाग में कई वर्षो से रिक्त होने के पशचात भी उन पदों को नहीं भरा गया है । जिससे यह पद विलोप्ति होते रहे है जबकि इस पद पर पदोन्नति के लिये कर्मचारी उपलब्ध थे । यदि हाँ तो इससे कर्मचारी को हुये नुकसान के लिये कौन से अधिकारी / कर्मचारी जिम्मेदार है और उनके विरूद्ध द्वारा कार्यवाही की जावेगी ।	हाँ परंतु पत्र क्र0 14-1/98-स्था दिनांक 19.04.2000 एवं दिनांक 04.04.2002 द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को, संस्थान के कुछ पदों को सरेण्डर कर उसके स्थान पर नये पदों को क्रियेट करने के लिए प्रस्ताव भेजे गये थे । इस संबन्ध म दिनांक 26.04. 2000, 02.04.2002, 11.09.2002, 15.11.2002, 11.02.2003 एवं 27.10.2004 द्वारा निरंतर पत्राचार होता रहा । परंतु परिषद से कोई जवाब नही आने के कारण इन पदों पर समूचित कार्यवाही नही हो सकी । पद विलोपित नही हुई है अतः प्रश्न का कोई औचित्य नही है। प्राशंगिक नही है।
प्रश्न क्रमांक 5	भविष्य में पर्सनल अस्सिटेन्ट के रिक्त पदों को कब तक भर लिया जावेगा और उनकी पदोन्नती किस तरह की जावेगी । जानकारी देवें ।	संस्सोधित भर्ती नियम के अनुसार पर्सनल असिस्टेन्ट के रिक्त पदों को विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाना है । वर्तमान में मामला माननीय न्यायालय के आधीन है अतः न्यायालय के अगले आदेश के पश्चात कार्यवाही होगी ।

31/1/08

कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी, भा0 मृ0 वि0 सं0, भोपाल